बिना अधिग्रहण बना दी सड़क, हाई कोर्ट की नाराजगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाय) के तहत बिना भूमि अधिग्रहण किए किसानों की जमीन पर सड़क निर्माण करने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अफसरों के रवैये पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) का उल्लंघन बताया और स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि याचिकाकर्ताओं की भूमि निर्माण कार्य से प्रभावित हो रही है, तो भू-अर्जन की पूरी प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत पूरी की जाए।

विना मुआवजा जमीन लेना असंवैधानिकः जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को उनकी पैतृक भूमि से बेदखल किया गया है और उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। यह संविधान की उस मूल भावना का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

कलेक्टर से शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने रायगढ़ कलेक्टर से भी इस संबंध में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत सीमांकन करने और यदि निर्माण में याचिकाकर्ताओं की भूमि शामिल पाई जाए, तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवज़ा और पुनर्वास की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

इन अफसरों को बनाया गया पक्षकार

सचिव (छत्तीसगढ़ शासन), मुख्य कार्यपालन अधिकारी (छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी), ईई (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) रायगढ़ डिवीजन, एसडीएम रायगढ़, तहसीलदार रायगढ़।

कोर्ट ने सरकार को चेताया

कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अफसरों को संविधान और भू-अर्जन कानून का पालन करना ही होगा। योजनाओं के नाम पर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि विकास कार्यों के नाम पर कानून का उल्लंघन कर नागरिकों की संपत्ति छीनना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।

ये है मामला

रायगढ़ जिले के ग्राम गेरवानी में स्थित खसरा नंबर 19/15, 19/16, 19/19, 19/22, 19/17, 19/21, 19/18, 19/20, 19/12, 19/10, 18/6 कुल रकबा 0 .474 हेक्टेयर जमीन याचिकाकर्ताओं की पैतृक संपत्ति है। इनमें से करीब 35 डिसमिल पर सड़क निर्माण कर दिया गया है। भूमि स्वामियों से न कोई पूर्व अनुमति ली गई, न ही कोई अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई गई। याचिकाकर्ता सुशील कुमार अग्रवाल, लक्ष्मी बाई अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, किरण अग्रवाल और सरिता अग्रवाल ने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें उचित मुआवजा मिले और भू-अर्जन की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए।